



मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान भोपाल 462003 (म.प्र.) भारत
(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन राष्ट्रीय महत्व का संस्थान)

Maulana Azad National Institute of Technology Bhopal 462003(M.P.)India
(An Institution of National Importance, under Ministry of Education, Govt. of India)

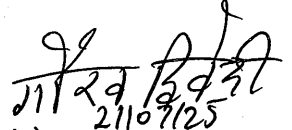
क्रमांक/स्था./राजभाषा/2025/1407

दिनांक 21...../07/2025

// परिपत्र //

भारत शासन की राजभाषा नीति के अनुपालन में संस्थान में राजभाषा समिति की तिमाही (01.04.2025 से 30.06.2025) बैठक दिनांक 07.07.2025 को निदेशक कार्यालय सभा कक्ष में आयोजित की गई थी। सक्षम प्राधिकारियों द्वारा अनुमोदित निर्णय (कार्यवृत्त) की प्रति संलग्न है। कृपया सभी विभागाध्यक्ष/संकायाध्यक्ष/अनुभागाध्यक्ष/केन्द्राध्यक्ष एवं शैक्षणिक/गैर शैक्षणिक अधिकारी/कर्मचारी उनसे संबंधित राजभाषा हेतु लिये गये निर्णयों का पालन सुनिश्चित करें।

संलग्न : कार्यवृत्त।


21/07/25
संयोजक राजभाषा

प्रतिलिपि:

1. समस्त संकायाध्यक्ष।
 2. समस्त विभागाध्यक्ष।
 3. समस्त अनुभागीय अधिकारी/प्रभारी।
 4. डॉ सविता दीक्षित, प्राध्यापक, रसायन शास्त्र विभाग एवं परामर्शदात्री राजभाषा समिति, मेनित भोपाल।
 5. प्रभारी, वेबसाइट अपलोड हेतु।
 6. निज सहायक कुलसचिव, कुलसचिव महोदय को सूचनार्थ।
 7. निज सहायक निदेशक, निदेशक महोदय को सूचनार्थ।
- } को अधीनस्थ शैक्षणिक/गैर शैक्षणिक कर्मचारियों के सूचनार्थ एवं अनुपालन हेतु।

मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान भोपाल

क्रमांक स्था./राजभाषा/2025/1407

दिनांक 21/07/2025

// बैठक के कार्यवृत्त //

संस्थान में भारत सरकार की राजभाषा नीति के अनुपालन एवं कार्य के क्रियान्वयन के संबंध में संस्थान राजभाषा समिति की तिमाही (01.04.2025 से 30.06.2025 तक) की बैठक दिनांक 07.07.2025 को हुई। संस्थान द्वारा हिन्दी में कार्य प्रगति पर संस्थान राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष (निदेशक) महोदय द्वारा चर्चा की गई :-

समिति द्वारा की गई चर्चा में निम्न बिन्दुओं पर विचार विमर्श कर निष्कर्ष निकाला है जिन पर राजभाषा नीति के अनुसार कार्यवाही अपेक्षित है : -

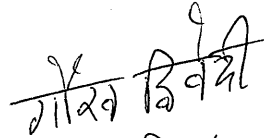
1. संस्थान राजभाषा कार्यान्वयन समिति के संयोजक द्वारा समस्त समिति सदस्यों का स्वागत किया गया एवं पिछली बैठक के कार्यवृत्त पर कार्यवाही प्रकाश डाला गया और आदरणीय निदेशक महोदय द्वारा इसकी समीक्षा की गई।
2. लगभग सभी विभागों को लेब मेनुअल्स के लिए बधाई दी गई एवं बाकी विभागों को एक सप्ताह के कार्य पूर्ण कर डॉ. सविता दीक्षित, प्राध्यापक, रसायन शास्त्र विभाग को सूचित करने को निदेशक महोदय ने आदेश दिया है।
3. तकनीकी कार्यशाला के व्याख्यान के हिन्दी में किए गए संबोधन को कार्यवृत्त में शामिल करने को कहा गया है।
4. संकायाध्यक्ष (संस्थागत विकास एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध) को निर्देश दिये गए हैं कि किसी भी ब्रॉशर के द्विभाषी में होने के उपरान्त ही अनुमोदन किया जाए। कम से कम प्रस्तावना तो द्विभाषी में होना ही चाहिए।
5. रसायन विभाग के द्वारा पूर्व में किये गए कार्यक्रमों हेतु बधाई दी गई।
6. सभी विभागों से द्विभाषी किये जा रहे/किये गए ब्रॉशर की एक कॉपी राजभाषा प्रकोष्ठ में भेजने के लिए कहा गया।
7. ई.एम.डी. रिटर्न प्रपत्र को द्विभाषी किया जाना चाहिए।
8. संस्थान के पुस्तकालयाध्यक्ष को कार्यशाला दोबारा अयोजित करने को कहा गया जिसमें की प्रतिभागियों की संख्या बढ़ाने का प्रयत्न किया जाना चाहिए।
9. संस्थान के पुस्तकालयाध्यक्ष को हिन्दी में कार्यशाला आयोजित करने, श्री महबूब को नोटिस बोर्ड पर हिन्दी सुविचार लिखने एवं सभी विभागाध्यक्षों को हिन्दी में हस्ताक्षर करने के लिए प्रशंसा की गई।
10. श्री वेंकटा राव पोकूरी, पुस्तकालयाध्यक्ष एवं श्री मेहबूब खान, वरिष्ठ सहायक, स्थापना शाखा को रुपये 5000/- की प्रोत्साहन राशि प्रदान करने हेतु निदेशक महोदय द्वारा अनुशंसा की गई।

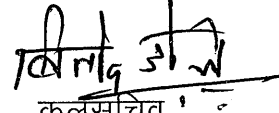
सविता

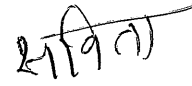
अभिषेक

गौरव द्विवेदी

11. प्रत्येक विभागाध्यक्ष अपने अपने विभाग में हिन्दी में अच्छा काम कर रहे अधिकारियों/कर्मचारियों (शैक्षणिक/गैर शैक्षणिक दोनों शामिल) को विभागीय स्तर पर प्रशंसा पत्र भेजने को कहा गया।
12. हिन्दी में प्रोत्साहन के लिए विद्यार्थियों के लिए कुछ व्याख्यान हिन्दी में करने को कहा गया।
13. संस्थान राजभाषा कार्यान्वयन समिति की परामर्शदात्री डॉ सविता दीक्षित ने संस्थान की राजभाषा पत्रिका के द्वितीय संस्करण विषय "संस्कार, संस्कृति एवं विरासत" के बारे में परिचय दिया एवं इस पत्रिका हेतु लेख/रचनाओं को आमंत्रित किया।
14. पहले वर्ष के विद्यार्थियों के लिए दिशा निर्देश हिन्दी/द्विभाषी में देने के लिए कहा गया।
15. बैठक के अंत में आदरणीय निदेशक महोदय एवं परामर्शदात्री द्वारा धन्यवाद ज्ञापन दिया गया।


उप-कुलसचिव (स्था.)
संयोजक, राजभाषा


कुलसचिव
उपाध्यक्ष, राजभाषा



परामर्शदात्री, राजभाषा


निदेशक
अध्यक्ष, राजभाषा